सरल कानूनी ज्ञान माला – 15

किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, ई–मेल : slsa-uk@nic.in ukslsanainital@gmail.com

किषोर अपराध सम्बन्धी नई विधि
एवं बालक श्रम निषेध विधि

1— किशोर द्वारा अपराध करने से अभिप्राय :—

जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके जेल में भेजती है और ऐसे व्यक्ति के विरूद्व न्यायालय में मुकदमा विचारण करने के बाद उसे सजा दी जाती है,परन्तु जहां कोई व्यक्ति किशोर हो तो उस किशोर द्वारा अपराध करने पर पुलिस को उसे गिरफ्तार करके जेल भेजने का अधिकार नही है । और न ही न्यायालय को ऐसे किशोर को अपराध में दण्डित करके सजा देने का अधिकार है। इसका कारण यह है कि अपराध कारित करने वाला व्यक्ति किशोर है क्योंकि उसकी सोच इतनी परिपक्व नहीं होती कि उसके द्वारा किये गये कार्यो व परिणामों का वह आभास कर सके, इसलिए ऐसे किशोर द्वारा किये जाने पर पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उसे जेल भेजने के स्थान पर किशोरों के लिए स्थापित सम्प्रेषण गृह में रखा जाता है और न्यायालय द्वारा विधि का उल्लंघन करने में सम्मिलित पाये जाने पर उस किशोर को विशेष गृह मे भेजा जाता है ताकि सजा देने के स्थान पर उसका संरक्षण, विकास एवं पुनर्वास किया जा सके। अब प्रश्न यह उठता है कि किस व्यक्ति को किशोर कहा जा सकता है। जहां एक तरफ किशोरों द्वारा किये गये अपराध के बावत पूर्ण व्यवस्था नये बनाये गये कानून किशोर न्याय (बालकों की देख—रेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 में की गयी है जिसके अन्तर्गत ही अपराध करने वाले किशोर के विरूद्व सारी कार्यवाही की जाती है इस अधिनियम में विधि विवादित बालक का नाम दिया गया है अतः किशोर अपराधी किशोर न कहकर विधि विवादित किशोर के नाम से जाना जायेगा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसको एक साधारण व्यक्ति की तरह अपराधी के रूप में पुलिस एवं न्यायालय द्वारा बर्ताव करके दण्डित नहीं किया जायेगा।

2— किशोर की आयु के निर्धारण करने की प्रक्रिया :—

निश्चय ही किसी व्यक्ति के किशोर होने के लिये यह सिद्व होना आवश्यक है कि उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो तभी उसको किशोर होने का लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है इसलिये यदि कोई व्यक्ति किशोर होने का दावा करता है तो उसे अपनी आयु के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराना आवश्यक है इसलिए किसी व्यक्ति को किशोर मानने से पहले उस व्यक्ति की आयु के सम्बन्ध में सम्यक जांच की जायेगी और इस प्रायोजन के लिये वैसा साक्ष्य लेना जैसा आवश्यक है जिसमें उसकी आयु का यथासंभव उल्लेख करते हुए इस निष्कर्ष को अभिलिखित करना होगा कि वह व्यक्ति किशोर या बालक है अथवा नहीं। ऐसी किसी जांच करने के लिए साक्ष्य लेना आवश्यक बताया गया है अतः केवल शपथ—पत्र ही पर्याप्त नहीं है।

3— पुलिस द्वारा किशोर अपराधी को पकड़ने पर जेल नहीं भेजा जा सकता है :—

जब किसी किशोर अथवा बालक द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो ऐसे किशोर को पुलिस द्वारा पकड़ने पर उसे न तो हवालात में रखा जायेगा और न ही उसे जेल भेजा जा सकता है। जहां एक तरफ किशोर को गिरफ्तार करने वाली पुलिस को भी विशेष किशोर पुलिस होनी चाहिये वहां दूसरी ओर ऐसे किशोर को पुलिस द्वारा किसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख न पेश करके इस नई विधि के अन्तर्गत गठित किसी किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया जायेगा और ऐसे गिरफ्तार किये गये किशोर को जेल में न भेजकर सम्प्रेक्षण गृह में भेजा जायेगा। पुलिस द्वारा ऐसे अपराध करने वाले किशोर को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने में भार साधक अधिकारी द्वारा या विशेष किशोर पुलिस यूनिट द्वारा जब ऐसे किशोर अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस किशोर के माता—पिता किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उस किशोर को हाजिर करते समय उपस्थित हो सकें और इसके साथ—साथ पुलिस का यह भी दायित्व है कि वह ऐसे किशोर की गिरफ्तारी की सूचना परिवीक्षा अधिकारी को भी दे ताकि वह गिरफ्तार किये गये किशोर के पूर्व वृतान्त और पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा अन्य तात्विक परिस्थितियों को प्राप्त करके बोर्ड को अवगत करा सकें, और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच की जा सके। पुलिस का यह भी दायित्व है कि किशोर या बालक के पकड़े जाने की दशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी सुचना उपलब्ध कराये जाये ताकि बालक को तत्काल कानूनी सहायता उपलब्ध करायी जा सके।

4— किशोर अपराधी अथवा विधि विवादित बालक की जमानत :—

जब किसी अपराध करने वाले किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के सम्मुख पुलिस द्वारा पेश किया जाता है तो बालक न्याय बोर्ड ऐसे किशोर से यह विश्वास होने पर कि यदि उसे छोड़ा जाता है तो किसी ज्ञात अपराधी के सहचर में नहीं आयेगा या उस किशोर का भविष्य नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में नहीं पडेगा या उसके छोड़े जाने से न्यायिक उद्देश्य विफल नहीं होगा तो किशोर न्याय बोर्ड ऐसे अपराध करने वाले बालक को जमानत पर छोड़ सकता है। यदि ऐसे बालक को जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं समझा जाता तो किशोर न्याय बोर्ड ऐसे बालक के विरूद्व जांच करने के उद्देश्य से जांच की लम्बित अवधि के लिये उसे कारागार भेजने के स्थान पर सम्प्रेक्षण गृह या सुरक्षा के किसी अन्य स्थान पर भेजा जायेगा । इसी प्रकार विशेष किशोर पुलिस यूनिट या पुलिस थाना के भार साधक अधिकारी को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह बालक को छोड़े जाने के लिए युक्तियुक्त आधार पाता है तो वह उसे जमानत पर छोड़ सकता है और जब तक वह जमानत पर रिहा नहीं होता, ऐसे अपराध करने वाले बालक को हवालात में न रखकर सम्प्रेषण गृह में तब तक रखा जायेगा, जब तक कि किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश नहीं किया जाता। इस प्रकार यदि बालक को जमानत पर नहीं छोड़ा जाता तो किशोर न्याय बोर्ड उसे कारागार में सुपुर्द करने के बजाय उसे संप्रेषण गृह अथवा सुरक्षा के किसी स्थान पर भेजेगा।

5– किशोर के विरूद्व अपराध के सम्बन्ध में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ही जांच की जा सकती है :–

विधि विवादित बालक के विरूद्व किसी भी अपराध के विचारण के लिए न्यायालय को कोई अधिकार नहीं दिया गया है बल्कि इस नये कानून में किशोर न्याय बोर्ड गठित करने की व्यवस्था है और केवल किशोर न्याय बोर्ड ही किसी बालक के विरूद्व अपराध की जांच करके उचित आदेश पारित कर सकता है। इस किशोर न्याय बोर्ड में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम से पद नामित होंगे। चुंकि बालक से सम्बन्धित अपराध की जांच के लिये बाल मनोवैज्ञानिक एवं बाल कल्याण की जानकारी होना आवश्यक है जिनको ध्यान में रखते हुये इसकी नियुक्ति करने की व्यवस्था की गयी ताकि बालकों की समस्याओं को समझते हुये उनके अपराध के सम्बन्ध में जांच करके उनके प्रति न्याय किया जा सके। बालक के विरूद्व अपराध की जांच अब केवल किशोर न्याय बोर्ड ही कर सकता है। इसलिये जब भी किसी बालक द्वारा अपराध किया जाता है तो विशेष किशोर पुलिस द्वारा ऐसे कि बालकों को बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना होगा जो अपराध की जांच करेगा और इस जांच की प्रक्रिया उसी प्रकार की होगी जैसा कि दण्ड प्रकिया संहिता में सम्मन केस के मामले में की जाती है। जब तक बालक के विरूद्व जांच विचाराधीन रहती है तो उस दौरान ऐसे बालक को संप्रेक्षण गृह या आर्ब्जवेशन होम में रखा जायेगा और जांच के समाप्त होने के बाद जंहा किशोर न्याय बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि बालक के विरूद्व समुचित जांच करके और उसके सलाह देने और भर्त्सना करने के बाद तथा माता–पिता या संरक्षक को परामर्श देकर बालक को घर जाने की अनुमति दे सकता है। इसके अतिरिक्त यदि बोर्ड उचित पाता है तो अपराध की प्रकृति को देखते हुये बालक को सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकता है या बालक के माता–पिता को अथवा स्वंय बालक को कोई जुर्माना अदा करने का आदेश दे सकता है, यदि वह बालक 14 वर्ष से अधिक आयु का है और धन अर्जित करता है इसके अतिरिक्त यदि किशोर न्याय बोर्ड उचित पाता है तो बालक को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देने का और उसके माता–पिता, संरक्षक अथवा उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखने का निर्देश दे सकता है जो प्रतिभूओं सहित या रहित जैसा कि बोर्ड अपेक्षा करे तीन वर्षो तक की अवधि के लिए बालक के अच्छे आचरण कल्याण का बन्धपत्र निष्पादित करेगा। इसी प्रकार किशोर द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए बोर्ड किसी बालक को अच्छे आचरण और कल्याण के लिए अनुकूल संस्था की देखरेख में रखने का भी निर्देश भी कर सकता है। जहां किसी ऐसे बालक को अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं समझा जाता तो उस स्थिति में बोर्ड को यह अधिकार है कि बालक द्वारा अपराध कारित होना पाये जाने पर वह उसे किसी विशेष गृह में भेजने का आदेश पारित कर सकता है। इस प्रकार जहां एक तरफ किसी बालक द्वारा अपराध करने पर भी किसी बालक को अपचारी किशोर न कहकर अब इन नये अधिनियम में विधि विवादित बालक के नाम से बुलाया जायेगा वहां दूसरी ओर अपराध की प्रकृति को देखते हुए बालक न्याय बोर्ड ऐसे अपराध करने वाले बालक को अच्छे आचरण पर उसके माता–पिता या संरक्षक या किसी अनुकूल संस्था की देखरेख में छोड़ सकता है और यदि ऐसा छोड़ना उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो ऐसे विधि विवादित किशोर को जेल न भेजकर उसे विशेष गृह में ही भेजने का आदेश पारित किया जायेगा।

6– किसी भी बालक द्वारा गम्भीर अपराध करने पर विशेष गृह के स्थान पर निरोध कारावास में रखना :–

किसी भी बालक द्वारा जब कोई अपराध किया जाता है तो उसके द्वारा अपराध को कारित पाये जाने पर उसके विरूद्व जांच करने के बाद आदेश न्यायालय द्वारा न करके किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाता है लेकिन इस बात के लिये स्पष्ट व्यवस्था कर दी गयी है कि ऐसे किसी बालक को मृत्यु या आजीवन कारावास के दण्डादेश से दण्डित नहीं किया जायेगा अथवा उसे जुर्माना अदा करने में विफल होने पर कारागार में सुपुर्द नहीं किया जायेगा।

7– किसी भी बालक के विरूद्व साधारण अपराधी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही नहीं की जा सकती है :–

यदि कोई अपराध बालक एवं अन्य साधारण व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है तो उस अपराध के विचारण करने में जहां साधारण व्यक्ति के विरूद्व अपराध न्यायालय में विचारण होगा वहीं बालक के विरूद्व ऐसा अपराध न्यायालय के सम्मुख विचारण नहीं होगा बल्कि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच की जायेगी इसलिये बालक एवं उस व्यक्ति के विरूद्व जो बालक नहीं है संयुक्त रूप से कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

8– किशोर अथवा बालक के प्रति क्रूरता करना, भीख मंगवाना, उनका दुरुपयोग करना या बालकों का मादक पेय या स्वापक औषधि एवं नशीले पदार्थ देने के लिए प्रयोग करना अपराध है :–

यदि कोई व्यक्ति किशोर या बालक का वास्तविक भार या उस पर नियंत्रण रखते हुए किशोर पर प्रहार करे, उसका परित्याग करता है, खुला छोड़ देता है या जान बूझकर उसकी उपेक्षा करता है वह उस किशोर या बालक को संभाव्यतः अनावश्यक मानसिक या शारीरिक पीड़ा कर सकता है। वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन बषों तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किशोर या बालक को भीख मांगने के लिए नियोजित या प्रयुक्त करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पॉच वर्षों तक की हो सकती है। दण्डनीय होगा और जुर्माना का भागी होगा। जो कोई व्यक्ति किसी किशोर या बालक को किसी लोक स्थान में किसी स्वापक औषिधि या मनःप्रभावी पदार्थ को किसी सम्यक रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश या बीमारी की स्थिति के सिवाय देता है या देना कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो सात वर्षो तक ही हो सकती है और जुर्माने का भी दायी होगा। इसी **प्रकार यदि किसी किशोर अथवा बालक का** उसके नियोक्ता द्वारा किया जाता है तो उस व्यक्ति को इस नये अधिनियम में पॉच वर्ष की सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। इसके अलावा यह प्रावधान भी किया गया है कि किसी बालक की पहचान जिसके संबध में कोई पांच, अन्वेषण या न्यायिक कार्यवाही गतिमान है, की पहचान से संबंध में किसी समाचार पत्र, मैगजींन, ध्वनि–दृश्य मीडिया या संचार के किसी माध्यम द्धारा सर्वजनिक नही किया जा सकता है। इसी प्रकार पुलिस द्धारा भी ऐसे बालक के चरित्र प्रमाण पत्र में बालक पर चहे किसी मामले का उल्लेख नहीं किया जा सकता। उक्त प्रावधान का उल्लंधन करने वाले व्यक्ति को 6 माह तक की अवधि का कारावास तथा जुर्माना या दोनों दण्डित किया जा सकता है।

किसी बालक की खरीद–फरोख करने वाले व्यक्ति को पॉच वर्ष तक का कारावास तथा जुमाने या दोंनों से दण्डित किया जा सकता है। किसी बालक को किसी बाल संरक्षण संस्था के कर्मचारी द्धारा शरीरिक रूप से प्रताणित किये जाने पर दोषी व्यक्ति दस हजार रूपये का अर्थदण्ड किया जा सकता है।

किसी बालक के उग्रवादी संगठन द्धारा इस्तेमाल करना पाये जाने पर सात साल तक की अवधि के कारावास तथा जुमाना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त कृत्य को अपराध का दर्जा दिया गया है

8– 16 से 18 वर्ष तक की आयु के विधि विवादित बालक द्धारा जधन्य अपराध व्यक्ति करने में संलिप्त होना पाये जाने पर प्रारंभिक निर्धारण।

नवीनतम किशोर न्याय विधी के अन्तर्गत ऐसे अपराधों, जिनमें न्यूनतम सात वर्ष तक की अवधि के मध्य तक कारावास से दण्डनीय अपराधी को गंभीर प्रकृति तथा तीन वर्ष तक की अवधि के ('लधु प्रकृति') के अपराधी की क्षेणी में रखा गया है।

ऐसे बालक, जो कि 16 वर्ष या इससे अधिक आयु का है, तथा किसी जघन्य अपराध करने में सम्मिलित होना पाया जाता है, तब किशोर न्याय बोर्ड द्धारा ऐसे बालक का प्रारंभिक निर्धारण किया जायेगा। ऐसे प्रारंभिक निधार्रण अपराध कारित करने की बालक की मानसिक व शरीरिक क्षमता तथा

/ अपराध के परिणामों व परिस्थितियॉ के समक्षने की योग्यता के परिणामें में किया जायेगा। प्रारंभिक निर्धारण करने हेतु किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अनुभवी मनोचिकित्स को व मनोसमजिक कार्यकताओं की सहायता की जा सकती है। ऐसे अनुभवी विशेषतों का पैनल जिला बाल संरक्षण यूनिट द्वारा तैयार किया जायगा।

ऐसे निर्धारण उपरांत बालक के मामले का विचारण एक व्यस्क अभियुक्त के समान चलाये जाने हेतु बाल न्यायालय ( ) को संरक्षित किया जा सकता है। बाल न्यायालय, पॉस्को अधिनियम के अन्तर्गत नोटिफाईड अपर सत्र न्यायाधीश स्तर का न्यायालय होना है। जहॉ पोस्को कोर्ट पृथक से गणित नही है वहॉ पर उक्त जिले के सत्र न्यायाधीश को पोस्को न्यायालय की शक्तियॉ प्राप्त है।

यदि प्रारंभिक निर्धारण के उपरोक्त किशोर न्याय बोर्ड का यह विचार है कि ऐसे बालक का मामला बोर्ड द्वारा निस्तारित किया जाना चाहिए, तथा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ही मामले की सुनवायी करते हुए जॉच की जा सकती है।

9— नई विधि में बालक के लिए जेल के स्थान पर संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षा के स्थान की व्यवस्था :—

यदि पुलिस या बोर्ड द्वारा किसी बालक को अपराध करने पर जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो उसकी जांच के दौरान उसे संप्रेक्षण गृह में रखा जायेगा और अपराध करना पाये जाने पर उसको जेल के स्थान पर विशेष गृह में रखे जाने की व्यवस्था है। जहां पर कोई बालक अपराध करते समय सोलह वर्ष से अधिक आयु का और 18 वर्ष से कम आयु का था तो ऐसे किशोर द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध करने पर उसे सुरक्षा के स्थान पर रखा जायेगा जो कि कारागार नहीं होता। अतः बालक के साथ अपराध करने की दशा में कैदियों जैसा व्यवहार करना मना है।

10— देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के लिये गृह की व्यवस्था :—

यदि कोई बालक गृह विहीन अथवा जीवन निर्वाह के किसी दृश्यमान साधन के बिना पाया जाता है मानसिक या शारीरिक रूप से रोगग्रस्त है, और उसका सहारा देने वाला कोई नहीं हैं या जिस बालक के माता—पिता बालक पर नियंत्रण स्थापित करने के योग्य नहीं है या उसके इच्छुक नहीं हैं या वह बालक लैंगिक दुरुपयोग अथवा अवैध कार्यो का शिकार हो रहा है या वह दैवी आपदा या किसी सशस्त्र संघर्ष का शिकार हो गया है ऐसे सभी बच्चों को अधिनियम में देख—रेख या संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से परिभाषित किया गया है। इन सबके लिए बालक कल्याण समिति की व्यवस्था की गयी है जिनका कर्तव्य इन बालकों को संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करना है।

11— देखरेख और संरक्षण वाले बालकों को बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाना :—

ऐसे बालकों को कोई पुलिस अधिकारी या विशेष पुलिस का अधिकारी या कोई लोक सेवक या रजिस्ट्रीकृत स्वयंसेवी संस्था प्रस्तुत कर सकती है या स्वयं बालक भी उपस्थित हो सकता है जिसके बाद समिति द्वारा जांच पूरी हो जाने पर यदि उस बालक का कोई परिवार या दृष्यमान सहारा नहीं है तो वह उस बालक को बालक गृह में तब तक रूके रहने की अनुमति दे सकती है जब तक कि उसके लिये उपयुक्त पुनर्वास नहीं प्राप्त कर लिया जाता अथवा वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। इस प्रकार बालक गृह को राज्य सरकार स्वयं या स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर ऐसे बालकों के प्रवेश और उसके बाद उनकी देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करती है।

12— बालक श्रमिकों से जोखिम भरे काम की मजदूरी करवाना अपराध है :—

बाल श्रम (प्रतिषेध विनियम) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जिस व्यक्ति की आयु 14 वर्ष से अधिक नहीं है वह बालक कहा जाता है और ऐसे बालक जो 14 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष तक की आयु वाले बालक तथा किशोर कहा गया है ऐसे किशोर से किसी भी प्रकार श्रम कराने जाना प्रतिषेध किया गया है उक्त प्रावधान था उलल्धन करने पर न्यून्तम छः माह से तीन वर्ष तक की अवधि से आरावास तथा रू0 20,000 /— से रू0 25,000 तक के जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। यदि जोखिम भरा काम मजदूरी के रूप में कराया जाता है तो ऐसे काम कराने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 6 माह का कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 20,000/— से कम नहीं हो सकेगा किन्तु जो रू0—30,000/— तक हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा। जहां तक जोखिम भरा कार्य का प्रश्न है वह इस अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि ईमारत का निर्माण कराना, सड़क बनाना, ऊन की धुलाई कराना, गलीचा

बुनना, सीमेन्ट की बोरियों को अर्न्तवृष्ट करते हुए सीमेन्ट बनाना, चमड़ा निर्माण, इत्यादि सभी कार्य की मजदूरी को जोखिम भरा कहा जायेगा जो व्यक्ति किसी बालक से जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है ऐसा जोखिम भरा काम लेता है उसे दण्डित किये जाने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी या निरीक्षक को इसकी सूचना कर सकता है ताकि ऐसे बाल श्रमिक के अपराध करने वाले व्यक्ति के विरूद्व सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में परिवाद योजित करके दण्डित कराया जा सके। जहां तक किसी बाल श्रमिक की 14 वर्ष से कम आयु के निर्धारण का प्रश्न है उसके लिऐ विधिवत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र आयु के बारे में निश्चय साक्ष्य होगा।

13– बालकों के श्रम को गिरवी करना अपराध है :–

यदि ऐसे किसी बालक जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है उसके माता–पिता या संरक्षक ऐसे बालक के श्रम को गिरवी करने के लिए मौखिक या लिखित करार करके उसके बदले में कोई सुविधा या अन्य लाभ प्राप्त करते हैं तो वह कृत्य बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम 1933 के अन्तर्गत अपराध है जिसमें जो कोई माता–पिता या संरक्षक अपने बालक के श्रम गिरवीकरण के लिए ऐसा करार करेगा तो वह जुर्माना से जो रु0–200/– तक होगा दण्डित किया जायेगा।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद –

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी ..... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ–

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 3,00, 000/– (तीन लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
(ग) स्त्री या बालक
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
(ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया
हुआ व्यक्ति।
(च) औद्योगिक कर्मकार
(छ) युद्व में शहीद सैनिक आश्रित
(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हो तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
(2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
(4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
(5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी
पता –
नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला

पुस्तकें

1. सरल कानूनी ज्ञान माला–1 उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2. सरल कानूनी ज्ञान माला–2 पषुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वूपर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3. सरल कानूनी ज्ञान माला–3 वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4. सरल कानूनी ज्ञान माला–4 उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5. सरल कानूनी ज्ञान माला–5 सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6. सरल कानूनी ज्ञान माला–6 महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7. सरल कानूनी ज्ञान माला–7 वैष्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8. सरल कानूनी ज्ञान माला–8 भ्रश्टाचार निवारण विधि
9. सरल कानूनी ज्ञान माला–9 मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10. सरल कानूनी ज्ञान माला–10 मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11. सरल कानूनी ज्ञान माला–11 मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12. सरल कानूनी ज्ञान माला–12 भरण–पोशण प्राप्त करने की विधि
13. सरल कानूनी ज्ञान माला–13 उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14. सरल कानूनी ज्ञान माला–14 झगड़ो को रोकने सम्बन्धी विधि
15. सरल कानूनी ज्ञान माला–15 किषोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निशेध विधि
16. सरल कानूनी ज्ञान माला–16 मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17. सरल कानूनी ज्ञान माला–17 बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18. सरल कानूनी ज्ञान माला–18 नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19. सरल कानूनी ज्ञान माला–19 उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20. सरल कानूनी ज्ञान माला–20 मजदूरों के कानूनी अधिकार
21. सरल कानूनी ज्ञान माला–21 प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22. सरल कानूनी ज्ञान माला–22 दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23. सरल कानूनी ज्ञान माला–23 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24. सरल कानूनी ज्ञान माला–24 हिन्दू विवाह सम्पत्ति का अधिकार
25. सरल कानूनी ज्ञान माला–25 बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006
26. सरल कानूनी ज्ञान माला–26 उपभोक्ता संरक्षण कानून
27. सरल कानूनी ज्ञान माला–27 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28. सरल कानूनी ज्ञान माला–28 घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29. सरल कानूनी ज्ञान माला–29 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30. सरल कानूनी ज्ञान माला–30 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31. सरल कानूनी ज्ञान माला–31 तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)

32. सरल कानूनी ज्ञान माला–32 दहेज
33. सरल कानूनी ज्ञान माला–33 बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34. सरल कानूनी ज्ञान माला–34 पुलिस षिकायत प्राधिकरणः एक परिचय
35. सरल कानूनी ज्ञान माला–35 मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36. सरल कानूनी ज्ञान माला–36 श्रम कानून
37. सरल कानूनी ज्ञान माला–37 उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38. सरल कानूनी ज्ञान माला–38 सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39. सरल कानूनी ज्ञान माला–39 वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40. सरल कानूनी ज्ञान माला–40 एड्स को जानें
41. सरल कानूनी ज्ञान माला–41 मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42. सरल कानूनी ज्ञान माला–42 शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43. सरल कानूनी ज्ञान माला–43 समाज कल्याण संबंधी सरकारी योजनाएं
44. सरल कानूनी ज्ञान माला–44 कानून की जानकारी आखिर क्यों?
45. सरल कानूनी ज्ञान माला–45 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षझा अधिनियम, 2012
46. सरल कानूनी ज्ञान माला–46 आपदा प्रबंधन
47. सरल कानूनी ज्ञान माला–47 उत्तराखण्ड अपराध से पीडित सहायता योजना, 2013
48. सरल कानूनी ज्ञान माला–48

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,

8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।
12. HIV/ एडस से पीडित व्यक्ति

नोटः– क्रम संख्या 1, 7, 9, 10, 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कार्यपालक अध्यक्ष

सदस्य–सचिव

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल